UPME010090082026

न्यायालय- विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय(पोक्सो अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

उपस्थितः:- मोहम्मद बाबर खान, एच०जे०एस०।

जे०ओ० कोड यू०पी० 02742

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या- 3156 सन् 2026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2552 सन् 2026

संदीप उर्फ शैंकी पुत्र सलेक चन्द, निवासी वार्ड नम्बर 1 मौहल्ला वाल्मीकियान खरखौदा, थाना खरखौदा, जिला मेरठ। ..... प्रार्थी/अभियुक्त।

----बनाम----

उत्तर प्रदेश सरकार ..... अभियोजन।

मु०अ०सं०- 69/2026
धारा- 64(1), 352, 115(2) भा०न्या०सं० एवं
धारा- 5(ठ)/6 पोक्सो अधिनियम।
थाना- खरखौदा, जिला मेरठ।

राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता- श्री नरेन्द्र चौहान एवं श्री अवकाश जैन।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता- श्री प्रमोद कुमार एवं सौरभ कुमार एडवोकेट।

दिनांक 18.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त संदीप उर्फ शैंकी पुत्र सलेक चन्द की ओर से मु०अ०सं० 69/2026, अन्तर्गत धारा 64(1), 352, 115(2) भा०न्या०सं० एवं धारा 5(ठ)/6 पोक्सो अधिनियम, थाना खरखौदा, जिला मेरठ के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन कथानक के अनुसार संक्षेप में कथन है कि वादिनी कविता पत्नी संजय निवासी वार्ड 1, मौहल्ला तिहाई, कस्बा व थाना खरखौदा, जनपद मेरठ की रहने वाली है। वादिनी की पुत्री पीड़िता उम्र 17 वर्ष 06 माह दिनांक 25.04.2026 को समय करीब 11 बजे दिन से घर में बिना बताये कहीं चली गई। वादिनी को शक है कि उसकी बेटी को विजय पुत्र सत्यवान, निवासी बक्सर, थाना गंगानगर, जिला मेरठ बहला फुसलाकर ले गया। विजय उनके ही मौहल्ले में सोमेश पुत्र सतीश का किरायेदार है। जब उन्होंने जानकारी की, तो मौहल्ले के मनीष पुत्र नानक ने बताया कि पीड़िता को सोमेश का रिश्तेदार विजय लेकर गया है। उनके घर के मोबाईल नम्बर 976025XXXX पर मोबाईल नम्बर 935958XXXX व 897922XXXX व 706015XXXX से फोन आते थे। उन्होंने अपनी बेटी को काफी तलाश किया, परन्तु कोई जानकारी नहीं हो पायी। वादिनी की रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे उपरोक्त केस में झूंठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से पंजीकृत करायी गयी है एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त नामजद नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त एक डेयरी संचालक है तथा वादिनी मुकदमा व पीड़िता उसकी डेयरी से दूध, दही, मक्खन, पनीर ले जाया करती थी, जिन पर उधारी के काफी पैसे हो गये थे, जिन्हें मांगने पर वादिनी ने उक्त मुकदमा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध लिखा दिया। प्रार्थी/अभियुक्त के मोबाईल से ना तो कोई ऑडियो, वीडियो बरामद की गयी और ना ही उसका मोबाईल सील करके एफ.एस.एल. के लिये भेजा गया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध घटना का कोई मोटिव नहीं दर्शाया गया है तथा उसके विरूद्ध घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है, वह दिनांक 22.05.2026 से जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, ना ही वह पूर्व में सजायाफ्ता है। बाद जमानत उसके फरार होने अथवा गवाहान व साक्ष्य को प्रभावित करने का कोई अन्देशा नहीं है। अतः उनकी ओर से प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त का पीड़िता की माता के साथ संबंध थे तथा उनके मध्य शारीरिक संबंध भी बने हैं। प्रार्थी/अभियुक्त पीड़िता के घर पर आता-जाता

था और उसके द्वारा पीड़िता को शराब पिलाकर कई बार उसके साथ बलात्संग कारित किया गया है, जिससे पीड़िता नशा करने की आदी हो गयी। पीड़िता द्वारा अपने बयान धारा 180 व 183 द०प्र०सं० में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। अतः उनकी ओर से अभियुक्त को जमानत दिये जाने का विरोध किया गया।

न्यायालय द्वारा वादिनी को जमानत प्रार्थना पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया, जो उस पर तामील हुआ, परन्तु नोटिस की तामीला के उपरान्त भी वादिनी की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजन के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री पीड़िता, जिसकी उम्र घटना के समय करीब 17 वर्ष 06 माह रही है, को विजय नामक व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने का कथन किया गया है।

पीड़िता दिनांक 19.05.2026 को बरामद हुई। पीड़िता द्वारा विवेचक को दिये गये बयान धारा 180 भा०ना०सु०सं० में कथन किया कि उसकी उम्र करीब 17 वर्ष 06 माह है। वर्ष 2022 में जब वह शैंकी डेयरी वाले के पास घर के लिये दूध लेने जाती थी, तो शैंकी उसे छेड़ता था तथा अश्लील बातें करता था। शैंकी और उसकी मम्मी का अफेयर था। शैंकी और उसकी मम्मी के शारीरिक संबंध भी बने। वह उसके घर शराब लेकर भी आता था। उसकी मम्मी और शैंकी साथ में शराब पीते थे। जब उसको नशा हो जाता था, तो शैंकी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इस कारण वह डिप्रेशन में आ गयी और उसे नशा करने और शारीरिक संबंध की लत लग गयी। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिये उसने नये-नये लड़कों से इंस्टाग्राम पर बात शुरू की। दिनांक 25.04.2026 को दिन में वह जब मनीष पुत्र नानक से इंस्टाग्राम पर कॉल कर बात कर रही थी, तो उसकी मम्मी ने उसे पकड़ लिया और पता करने के लिये विजय सुनार के घर चली गयी। जब वह वहां से फोन लेकर वापस आयी, तो उसने फोन लेकर इंस्टाग्राम हटाकर घर से चली गयी। वह अपनी दोस्त नैना के घर पहुंची, वहां उसने मनीष और विजय से बात करी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर वह नैना के घर से हापुड़ के लिये चली गयी। फिर हापुड़ से मेरठ की बस पकड़कर हापुड़ अड्डे आकर किसी और के फोन से आकाश बैंसला को कॉल किया और उसके साथ नालपुर चली गयी। वहां उन्होंने शराब ली। फिर आकाश ने नशे की हालत में देखकर उसका बलात्कार किया तथा अभय, ऋषभ और तीन व्यक्ति, जिन्हें वह शक्ल से पहचान सकती है, इन सबने बारी-बारी उसके साथ बलात्कार किया और उसे सुबह हापुड़ अड्डे छोड़ गये। वहां से वह हरिद्वार चली गयी। हरिद्वार से वह फिर रात को मेरठ बेगमपुल आ गयी थी। फिर दोबारा बेगमपुल से हरिद्वार के लिये चली गयी। वहां कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे थे, तो पानीपत के दो लड़के हर्ष व सन्नी ने उसे बचाया तथा सारी बातें पूछकर उसे पानीपत ले गये। वहां उसे अपनी दोस्त फैजिया अंसारी के घर पर रूकवा दिया। वह 28 अप्रैल से वहीं पर रह रही है। उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। इन लोगों का कोई दोष नहीं है।

पीड़िता द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये बयान धारा 183 भा०ना०सु०सं० में कथन किया कि दिनांक 25.04.2026 को वह अपने घर से अकेले निकली थी। सन् 2021 में उसकी मम्मी कविता का बॉयफ्रेंड शैंकी था, जो उसे बेड टच करता था। सर्दियों में सन् 2022 में उसने घर में अपनी मम्मी को शैंकी के साथ सैक्स करते हुए देख लिया। उसने विरोध किया, तो उसकी मम्मी ने शैंकी को उसके पास भेजा और उसका बलात्कार किया। उसकी मां वहीं पास में बैठकर देख रही थी। उस रात उसने पहली बार उसका बलात्कार किया। उसके बाद से उसने उसे नशीले पदार्थ देने शुरू कर दिये और उसे सैक्स व नशे की आदत पड़ गयी। शैंकी उसकी मम्मी और उसके दोनों के साथ सैक्स करता था। सन् 2024 तक यह उसके साथ लगातार बलात्कार करता रहा। उसके बाद इंस्टाग्राम पर उसकी आकाश से बात होती थी। एक लड़का मनीष उससे भी बात होती, पर वह उससे आज तक ना मिली, ना देखा। दिनांक 25.04.2026 को जब वह अपने घर से निकली, तो उसने आकाश को हेल्प के लिये हापुड़ अड्डे से फोन किया, तो इसने कहा कि तू थोड़ी देर रूक, वह अभी आया। उसने उसे गाड़ी से पिक किया। उसका दोस्त रिषभ गाड़ी चला रहा था। फिर वे उसे नालपुर होटल में लेकर गये थे। इन लोगों ने ड्रिंक एल्कोहल पिया और उसे भी पिलाया। उसके बाद उसे होश नहीं रहा और वह उठ नहीं पा रही थी। उसके बाद

आकाश, रिषभ, सलमान, अभय, ऋतिक इन सबने उसका गैंगरेप किया। नशे की हालत में उसके साथ पता नहीं, कितने लोगों ने रेप किया। उसे धुंधली शक्ल दिखायी व सुनायी दे रही थी। जब उसे होश आया, तो कमरे में सलमान, आकाश, और अभय मौजूद थे। फिर सलमान और आकाश वहां से चले गये। और अभय को बोला कि उसे इसके साथ जो करना हो, कर ले। फिर अभय ने ऋतिक नाम के लड़के को बुलाया। फिर अभय और रितिक ने एक-एक करके रेप किया। फिर सुबह को करीब 04.30 बजे उसे अभय और ऋतिक ने उसे हापुड़ छोड़ दिया। फिर वह वहां से हरिद्वार चली गयी और फिर 26.04.2026 को वहां से वापस आयी और 27.04.2026 को मेरठ पहुंची। उसने थाने में जाने के बारे में सोचा, पर हिम्मत नहीं हुई। फिर उसने वापस हरिद्वार की बस पकड़ ली और 28.04.2026 को रात 2 बजे वह हरिद्वार पहुंच गयी। वहां पर हरकी पैड़ी पुल पर जा रही थी, तभी कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे थे। वहां सामने से दो लड़के आ रहे थे, जिनके नाम सन्नी व हर्ष थे। इन दोनों ने उसे पीछा करने वाले लड़कों से बचाया। फिर इन दोनों ने इंसानियत के नाते उसकी हेल्प की और वह इनके साथ पानीपत चली गयी। वहां पर वह फौजिया अंसारी के घर पर रही। इन तीनों ने बहुत मदद की और 28.04.2026 से लेकर 19.05.2026 तक वहीं पर रही। वहां पर उसे बेटी की तरह रखा और किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं हुई। हर्ष, सन्नी और फैजिया ने उसकी सिर्फ मदद की, इन्होंने कुछ नहीं किया और इनके विरूद्ध कोई कार्यवाही ना की जाये।

इस प्रकार पीड़िता के उपरोक्त बयानों के परिशीलन से विदित है कि पीड़िता के साथ प्रार्थी/अभियुक्त शैंकी द्वारा कई बार बलात्संग कारित किया गया तथा उसके पश्चात् आकाश बैंसला एवं उसके दोस्तों रिषभ, सलमान, अभय, ऋतिक के द्वारा होटल में पीड़िता के साथ बलात्संग कारित करने का कथन किया गया है। पीड़िता के बयानों के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के उसकी माता के साथ प्रेम संबंध थे और उनके मध्य शारीरिक संबंध भी बनते थे। प्रार्थी/अभियुक्त उनके घर पर आता-जाता था और उसके द्वारा पीड़िता को शराब पिलाई जाती थी, जिससे पीड़िता नशे की आदी हो गयी थी। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ वर्ष 2022 से 2024 तक कई बार बलात्संग कारित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त कथित घटना का मुख्य आरोपी है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा पीड़िता की आयु से संबंधित स्वामी कल्याण देव कन्या इन्टर कॉलेज, खरखौदा, मेरठ के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संकलित किया गया है, जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 18.11.2008 अंकित की गयी है, जिसके अनुसार पीड़िता प्रथम दृष्टया 17 वर्ष 06 माह की अवयस्क बालिका प्रतीत हो रही है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ बार-बार बलात्संग कर गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पीड़िता एवं गवाहान को डराने धमकाने एवं साक्ष्य को प्रभावित करने के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियो के दृष्टिगत, प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई मत व्यक्त किये अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त संदीप उर्फ शैंकी पुत्र सलेक चन्द की ओर से मु०अ०सं० 69/2026, अन्तर्गत धारा 64(1), 352, 115(2) भा०न्या०सं० एवं धारा 5(ठ)/6 पोक्सो अधिनियम, थाना खरखौदा, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 18.07.2026

(मोहम्मद बाबर खान)
विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय (पोक्सो अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ।
जे०ओ० कोड यू०पी० 02742